न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज पवन सिंह बनाम सोनपती मु.नं. 71/25 (दावा)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
	8/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 6/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	6/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
71/2024	06.09.2024	06.05.2025

बउनवान

1. पवनसिंह पुत्र दशरथसिंह, जाति राजपूत, निवासी केसरी, तहसील मण्डावर, दौसा।

..वादी

बनाम

1. सोनवती पत्नी हरिया, जाति माली, निवासी केसरी, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. हरिया पुत्र कल्याण, जाति माली, निवासी केसरी, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. सुमल पुत्र कल्याण, जाति माली, निवासी केसरी, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. भागचन्द पुत्र कल्याण, जाति माली, निवासी केसरी, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. कमला पत्नी गोपी, जाति माली, निवासी केसरी, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. गोपी पुत्र कल्याण, जाति माली, निवासी केसरी, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर दौसा।

..प्रतिवादीगण

उपस्थितः

1. अभिभाषक वादीगण – श्री धर्मसिंह राजपूत, श्री रामावतार सिंह तंवर।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से दावा बाबत घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात खसरा सं. 604 रकबा 0.44 है., 605 रकबा 0.45 हैक्टे., 606 रकबा 0.06 हैक्टे., 897/622 रकबा 0.37 हैक्टे., कुल किता 4, कुल रकबा 1.32 हैक्टे. वाके ग्राम केसरी, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित है। आराजी खसरा सं. 604 रकबा 0.44 हैक्टे., 605 रकबा 0.45 हैक्टे., 606 रकबा 0.06 हैक्टे., 613 रकबा 0.50 हैक्टे., 614 रकबा 0.61 हैक्टे., 615 रकबा 0.29 हैक्टे., 616 रकबा 0.25 हैक्टे., 617 रकबा 0.49 हैक्टे., 619 रकबा 0.12 हैक्टे., 620 रकबा 0.39 हैक्टे., 621 रकबा 0.40 हैक्टे., 622 रकबा 0.48 हैक्टे कुल किता 12 कुल रकबा 4.48 हैक्टे. वाके ग्राम केसरी तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित थी जिसमें प्रतिवादी सं. 1 सोनवती पत्नी हरिया का 1/18 भाग था जिसने अपने सम्पूर्ण भाग 1/18 की रजिस्ट्री वादी पवनसिंह पुत्र दशरथ सिंह के नाम दिनांक 01.07.2020 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 14 में पृष्ठ संख्या 3 क्रम संख्या 202003309100095 पर पंजीबद्ध किया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 34 के पुष्ठ संख्या 107 से 110 पर चस्पा किया गया, के जरिये विक्रय कर दी जिसका नामान्तकरण भी वादी पवनसिंह के नाम खुल गया था तथा वादी खातेदार काश्तकार हो गया तथा राजस्व रिकॉर्ड में विक्रेता सोनवती पत्नि हरिया का नाम हट गया। इसी बीच न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा में दावा प्रभू बनाम हरिया मु. सं. 129/2014

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

दिनांक 11.09.2014 को प्रस्तुत किया हुआ, विचाराधीन दावा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का था जिसमें खातेदार सोनवती को भी पक्षकार मुकदमा बनाया हुआ था लेकिन वक्त रजिस्ट्री, सोनवती ने यह बात वादी को नहीं बताई और उक्त रजिस्ट्री करवा दी तथा उक्त विभाजन के दावे में दिनांक 17.03.2020 को न्यायालय के आदेशानुसार बंटवारा स्कीम तहसीलदार मण्डावर की ओर से प्रस्तुत की गई जिसमें भी खातेदार सोनवती के नाम है, उस समय तक खातेदारी होने के कारण उसी को हिस्सा दिया गया तथा उसके बाद उक्त वाद पत्र को न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2020 को प्राप्त बंटवारा स्कीम को मानते हुये पूर्व खातेदारों के आधार पर ही उक्त प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण दिनांक 03.02.2021 को कर दिया जिसके पूर्व में ही वादी खातेदार पवनसिंह पुत्र दशरथसिंह के नाम उक्त बयनामा के आधार पर नामान्तकरण खुल चुका था तथा पवनसिंह सोनवती पत्नि हरिया के स्थान पर उसके हिस्से 1/18 भाग का खातेदार हो चुका था जिसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी वगै. सभी में आ चुका था तथा सोनवती का नाम उक्त जमाबंदी में से हट चुका था। उक्त जमावंदी संवत 2073–76 के खाता सं. नया 215 खाता सं. पुराना 204 में अंकित है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2073–2076 में आये इन्द्राज को पटवारी हल्का पाखर–1 द्वारा ध्यान नहीं देकर इस न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिकी की पालना करते हुये पूर्व इन्द्राज वादी पवनसिंह को हजफ करते हुये पूर्व खातेदार सोनवती पत्नी हरिया के नाम ही उक्त इन्द्राज कर दिया जिससे वादी पवनसिंह के नाम का इन्द्राज तो हजफ हो गया और पवनसिंह से पूर्व खातेदार सोनवती पत्नी हरिया का इन्द्राज पुनः खसरा सं. 604, 605, 606, 897/622, कुल किता 4, कुल रकबा 1.32 हैक्टे. में हिस्सा 53/264 का इन्द्राज कर दिया जबकि उक्त हिस्से में खातेदार सोनवती के स्थान पर वादी पवनसिंह पुत्र दशरथसिंह का नाम आना चाहिये था जो कि भूलवश नहीं आया जिसे प्रार्थी वादी दुरूस्त करवाये जाने का अधिकारी है। खातेदार सोनवती पत्नी हरिया का उक्त भूमि के किसी भी हिस्से में कोई भाग शेष नहीं है क्योंकि उसने अपना सम्पूर्ण हिस्सा उक्त आराजी का प्रतिफल प्राप्त कर वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.07.2020 को विक्रय कर दिया तथा उसके हिस्से पर जिस पर उसका कब्जा था, उस कब्जे को भी दिनांक 01.07.2020 को ही मुझ वादी को सुपुर्द कर दिया था जिस पर वादी शान्तिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है जिससे अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई वास्ता व संबंध नहीं है। इस कारण खातेदार सोनवती के नाम जिन नम्बरों की खातेदारी वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है, उन नम्बरों की खातेदारी वादी प्राप्त करने का अधिकारी है तथा उसके हिस्सा 53/264 भाग को अपने नाम दुरूस्त कराये जाने का वादी अधिकारी है। चूंकि वादी ने सौनवती से उसका हिस्सा जरिये बयनामा के खरीद किया है तथा उसका राजस्व रिकार्ड में अमल भी हो चुका था लेकिन अब वर्तमान में सहवन से न्यायालय द्वारा फरमाये गये डिक्री एवं निर्णय से उक्त हिस्से की खातेदारी पुनः सोनवती पत्नी हरिया के नाम चली गई है, उसे दुरुस्त करवाने तथा उसके हिस्से 53/264 भाग की खातेदारी अपने नाम की घोषणा करवाये जाने का वादी अधिकारी है तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी होने से यह दावा प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 को उक्त आराजी के सहखातेदार होने के कारण उन्हें पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की रिलीफ नहीं चाही

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

गयी है। उक्त गलत इन्द्राज की प्रार्थी वादी को पूर्व में जानकारी नहीं थी। दिनांक 28.08.2024 को राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने पर इस गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, तब न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा से उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.02.2021 की नकल प्राप्त की। तब इस बात की जानकारी हुई। तब तहसीलदार से इस बाबत निवेदन किया लेकिन उन्होंने उक्त दुरूस्ती किये जाने से साफ इन्कार कर दिया जिस पर अब उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी सं. 7 लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर होने से उक्त दावा के लिये आवश्यक पक्षकार मुकदमा होने के कारण उन्हें पक्षकार बनाया गया है जिनके विरुद्ध दावा दायरी से पूर्व धारा 80 जा. दी का कानूनी नोटिस दिया जाना था लेकिन दावा अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। इसलिये दफा 80(2) जा. दी. की दर अलग से प्रस्तुत की जा रही है। दावा के लिये पैदा होने विनाय दावा दिनांक 28.08.2024 को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी होने तथा तहसीलदार मण्डावर से उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने की कहने से उनके द्वारा मना करने से दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी को आराजीयात खसरा सं. हाल खसरा सं. 604, 605, 606, 897/622 कुल रकबा 1.32 हैक्टे. वाके ग्राम केसरी तहसील मण्डावर जिला दौसा में प्रतिवादी सोनवती पत्नि हरिया के हिस्सा 53/264 का वादी को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 01.07.2020 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 14 में पृष्ठ संख्या 3 कम संख्या 202003309100095 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 34 के पृष्ठ संख्या 107 से 110 पर पंजीबद्ध किया है जिसमें वादी को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/18 भाग का बयनामा पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर उप पंजीयक मण्डावर के समक्ष उपस्थित होकर करवाया था, उसके आधार पर वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 15 में उसके हिस्से 53/264 भाग का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार सही इन्द्राज कराया जावे तथा वर्तमान जमाबंदी में हो रहे सोनवती पत्नी हरिया के इन्द्राज को हजफ फरमाये जाने की कृपा करे। उक्तानुसार दावा घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज का बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि आराजी वादग्रस्त मुतजिक्रा मद नं. 1 वाद पत्र में वादी को उसके हिस्से व कब्जे में आई आराजी के किसी भी हिस्से में दखलन्दाजी बैजा ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से ही करावे। ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे हक हकूक वादी पर विपरीत प्रभाव पडे।

2. दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 07 नोटिस की सम्यक तामील के बावजूद इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिस पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर उनके जवाब दावा का अवसर बंद किया गया। वादी साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ तथा इनके द्वारा शपथ पत्र वास्ते साक्ष्य प्रस्तुत किया जिसमे वाद पत्र के तथ्यों को लिखा गया तथा दस्तावेजी साक्ष्यों में प्रदर्श–1 ग्राम केसरी की खतौनी खाता सं. 215 सम्वत 2073–2076 जमाबंदी, प्रदर्श–2 विक्रय विलेख दिनांक 30.06.2020, प्रदर्श–3 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा का निर्णय दिनांक 03.02.2021 उनवान प्रभु बनाम हरिया, प्रदर्श–4 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा की डिक्री दिनांक 03.02.2021 उनवान प्रभु बनाम हरिया, प्रदर्श–5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम दिनांक 26.05.2020 उनवान प्रभु बनाम हरिया, प्रदर्श–6 तहसीलदार मण्डावर को प्रस्तुत विभाजन स्कीम दिनांक 26.05.2020 उनवान प्रभु बनाम हरिया, प्रदर्श–7 विभाजन स्कीम का नजरी नक्शा, प्रदर्श–8 ग्राम केसरी की खतौनी खाता सं. 114 सम्वत 2073–2076 जमाबंदी प्रति को प्रदर्शित करवाया।

3. दावा में बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराया और उसके अनुसार वादपत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी, पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया। वादपत्र के जरिये चाहे गए अनुतोष बाबत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 में प्रावधान है कि :

88. अधिकार की घोषणा के लिए वाद– *(1) अभिधारी या सह–अभिधारी होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, इस घोषणा के लिए कि वह अभिधारी है या ऐसी संयुक्त अभिधृति में अपने हिस्से की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।*

(2) खुदकाश्त अभिधारी इस घोषणा के लिए कि वह ऐसा अभिधारी है, वाद ला सकेगा।

(3) उप–अभिधारी ऐसे व्यक्ति, जिससे वह भूमि धारण करता है, के विरुद्ध इस घोषणा के लिए कि वह उप–अभिधारी है, वाद ला सकेगा।

(4) राज्य सरकार से भिन्न कोई भूधारक, किसी जोत के अभिधारी या सह–अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप–अभिधारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

136. गलतियों का शुद्धिकरण– *भू–अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार– अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख लें।*

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।)

188. दोषपूर्ण बेदखली के विरुद्ध व्यादेश– *(1) कोई अभिधारी, जिसकी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर के अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किये जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए बाद ला सकेगा।*

(2) न्यायालय, आवश्यक जांच करने के पश्चात् निम्नलिखित मामलों में शाश्वत व्यादेश दे सकेगा, अर्थात:–

(क) यदि अतिक्रमण द्वारा कारित या संभाव्य वास्तविक नुकसान को अभिनिश्चित करने के लिए कोई मानक विद्यमान न हों;

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

(ख) यदि अतिक्रमण ऐसा हो कि धनीय मुआवजे से पर्याप्त अनुतोष न मिल सके;

(ग) जब यह अधिसंभाव्य हो कि अतिक्रमण के लिए धनीय मुआवजा प्राप्त नहीं किया जा सकता;

(घ) जहां कार्यवाहियों की बहुलता को रोकने के लिए व्यादेश आवश्यक हों।

4. विवादित आराजीयात की वर्तमान जमाबंदी संवत 2073–2076 से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा सं. 604, 605, 606, 897/622 में प्रतिवादी सं. 1 सोनवती का 53/264 हिस्सा दर्ज है। संलग्न विक्रय विलेख दिनांक 01.07.2020 से स्पष्ट है कि ग्राम केसरी में स्थित खसरा सं. 604 से 606, 613 से 617, 619 से 622 में सोनवती पत्नि हरिया (प्रतिवादी सं. 1) ने अपना 1/18 हिस्सा पवन सिंह पुत्र दशरथसिंह (वादी) को विक्रय कर दिया था। उक्त विक्रय का नामान्तरकरण सं. 588 दिनांक 20.04.2021 को ग्राम पंचायत पाखर के द्वारा स्वीकार किया गया जिसके परिणामस्वरूप ग्राम केसरी में स्थित खसरा सं. 604 से 606, 613 से 617, 619 से 622 की जमाबंदी में सोनवती पत्नि हरिया हिस्सा – 1/18 जाति – माली सा. देह खातेदार की प्रविष्ठी की जगह पवन हिस्सा – 1/18 जाति – राजपूत सा. देह खातेदार प्रविष्ठी दर्ज की गई।

5. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा के द्वारा मुकदमा संख्या 129/2014 उनवान प्रभु बनाम हरिया में दिनांक 03.02.2021 को पारित निर्णय तथा जारी की गई अन्तिम डिक्री से स्पष्ट है कि खसरा सं. 604, 605, 606, 622/24 का सह खातेदारों के मध्य विभाजन किया जाकर प्रविष्ठी "घमला पत्नि गोपी सोनवती पत्नि हरिया हि. 53/132 जाति माली सा. देह" दर्ज किये जाने का आदेश किया गया। उक्त डिक्री का नामान्तरकरण सं. 616 दिनांक 27.04.2022 को तहसीलदार मण्डावर के द्वारा स्वीकृत किया जाकर जमाबन्दी में खसरा सं. 604, 605, 606, 897/622 की प्रविष्ठी "सोनवती पत्नि हरिया हिस्सा – 53/264 जाति – माली सा. देह खातेदार" दर्ज की गयी।

6. उक्त प्रकरण मुकदमा संख्या 129/2014 उनवान प्रभु बनाम हरिया में तहसीलदार मण्डावर के द्वारा विभाजन स्कीम (प्रदर्श – 5) दिनांक 26.05.2020 को प्रेषित की गयी थी। उक्त विभाजन स्कीम में खसरा सं. 604, 605, 606, 622/2 के लिये प्रविष्ठी "घमला पत्नि गोपी सोनवती पत्नि हरिया हि. 53/132 जाति माली सा. देह" दर्ज किये जाने हेतु स्कीम भेजी गई। उक्त विभाजन स्कीम को दिनांक 03.02.21 को स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की गई। उक्त डिक्री की पालना में नामान्तरकरण दिनांक 27.04.2022 को तस्दीक किये जाने से पूर्व ही सोनवती (प्रतिवादी सं. 1) के द्वारा खसरा सं. 604, 605, 606, 622/2 में अपना हिस्सा पवन (वादी) को दिनांक 01.07.2020 को विक्रय कर दिया गया एवं इसका नामान्तरकरण दिनांक 20.04.2021 को तस्दीक कर दिया गया।

7. उक्त से स्पष्ट है कि खसरा सं. 604, 605, 606, 622/2 में प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से का बेचान दिनांक 01.07.2020 को हो जाने तथा उसका नामान्तरकरण दिनांक 27.04.2022 को स्वीकृत होने के बाद उक्त खसरा सं. 604, 605, 606, 622/2 के लिए डिक्री दिनांक 03.02.2021 तस्दीक किया जाकर सोनवती का हिस्सा दर्ज किया गया जो कि उचित नहीं है। इसलिए जमाबंदी में प्रविष्ठी "सोनवती पत्नि हरिया हिस्सा – 53/264 जाति – माली सा. देह खातेदार" को प्रविष्ठी "पवन सिंह पुत्र दशरथसिंह हिस्सा – 53/264 जाति

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

– राजपूत सा. देह खातेदार" से प्रतिस्थापित किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाना उचित है।

आदेश

8. दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम केसरी पटवार हल्का पाखर में स्थित आराजी खसरा सं. 604, 605, 606, 897/622 के लिए पवन सिंह पुत्र दशरथसिंह (वादी) को हिस्सा 53/264 के लिये खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरों की जमाबन्दी में दर्ज वर्तमान प्रविष्ठी "सोनवती पत्नि हरिया हिस्सा – 53/264 जाति – माली सा. देह खातेदार" को कलमजन किया जाकर इसके स्थान पर प्रविष्ठी "पवन सिंह पुत्र दशरथसिंह हिस्सा – 53/264 जाति – राजपूत सा. देह खातेदार" को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी की आराजी में कब्ज़ा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार मण्डावर को आदेश की पालनार्थ लिखा जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

9. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 06.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE 1908, APPENDIX "D"-1)

अज अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, मुकाम मण्डावर**

इजलास – **अमित कुमार वर्मा आर.ए.एस.**

अनुवान – **पवनसिंह बनाम सोनवती वगै.**

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं. **71/2024**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री धर्मसिंह राजपूत, एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ग्राम केसरी पटवार हल्का पाखर में स्थित आराजी खसरा सं. 604, 605, 606, 897/622 के लिए पवन सिंह पुत्र दशरथसिंह को हिस्सा 53/264 के लिये खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरों की जमाबन्दी में दर्ज वर्तमान प्रविष्ठी "सोनवती पत्नि हरिया हिस्सा – 53/264 जाति – माली सा. देह खातेदार" को कलम जन किया जाकर इसके स्थान पर प्रविष्ठी "पवन सिंह पुत्र दशरथसिंह हिस्सा – 53/264 जाति – राजपूत सा. देह खातेदार" को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी की आराजी में कब्ज़ा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06.05.2025 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	–	–	स्टाम्प अरजीदावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
गहनताना वकील पर			गहनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुकमनामा.....			बबत इजराय हुकमनामा...		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)